आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कारवाई के बारे टिप्पणी तारीख के

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 03/13—14

ववन सिंह वनाम् नरेन्द्र सिंह एवं अन्य

आदेश

18.08.14

आवेदक ववन सिंह पिता स्व० राम सिंहासन सिंह साकिन तिवारी बिगहा,थाना+जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित जमीन के तिहाई हिस्सा पर आवेदक के अधिकारों की धोषणा करने का अनुरोध किया है। साथ ही विवादित भूमि का सीमा निर्धारण कर आवेदक सहित विपक्षी संख्या 01 एवं 02 का बहिस्से बराबर विभाजित करने और अवैध एवं अनाधिकृत बेदखली की स्थिति में दखल कब्जा दिलाने का भी अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम सोनवर्षा थाना अरवल थाना संख्या 07 जिला अरवल में अवस्थित है निम्न है:—

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
1 नया क 32 पुराना	165 नया 126,127,पुराना	31 डी०	उतर—देवरतन चौधरी,दक्षिण—दुधेश्वर नाथ सिंह,पूरब—विश्वनाथ सिंह,विजेन्द्र सिंह,पश्चिम—खरीदार आवेदक वो विपक्षीगण

वाद की प्रविष्टी की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:—

(1) उभय पक्ष का वंशावली निम्न है:—

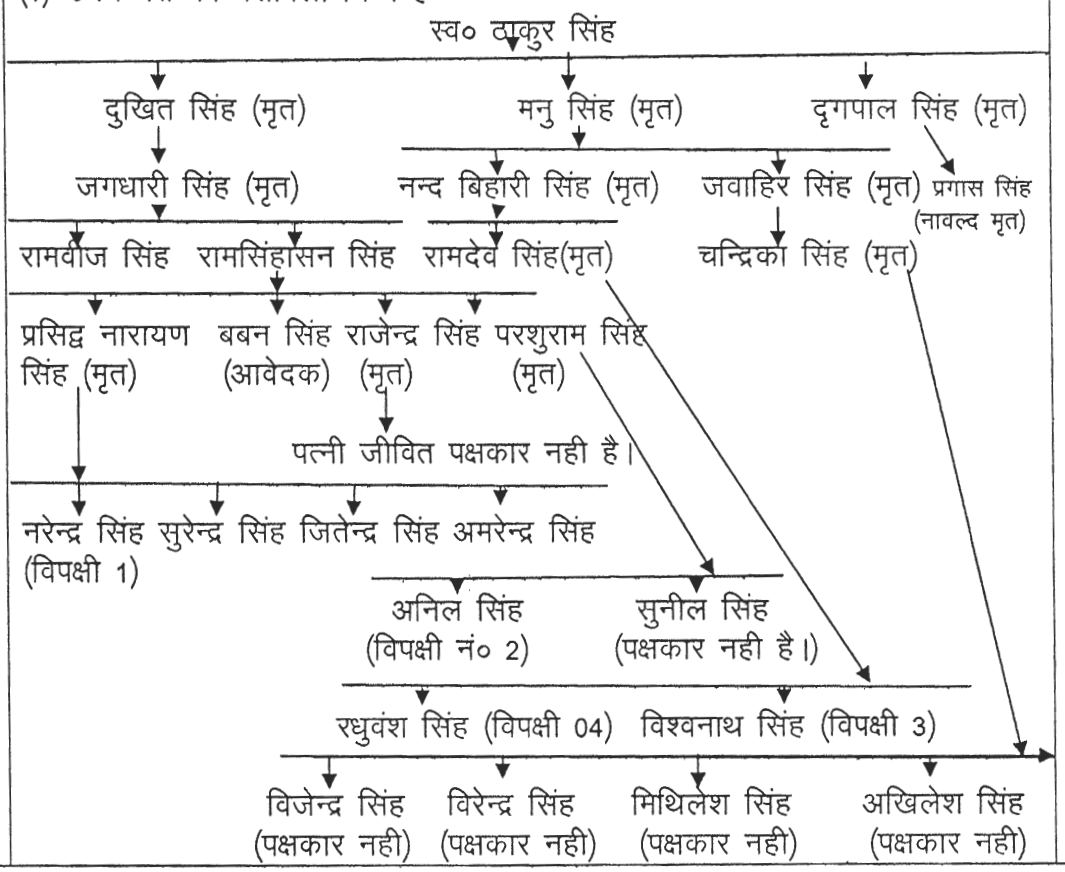

(2) विवादित भूमि पुराना सर्वे खतियान मालिक बकाश्त भूमि खाता नं० 32 प्लॉट नं० 127 एराजी 98 डी० बकब्जे दृधपाल सिंह वो प्लॉट नं० 126 एराजी 93 डी० बकब्जे जगधारी सिंह दर्ज है।

(3) प्रश्नगत् विवादित प्लॉट नं० 127 एराजी 98 डी० सहित अन्य दिगरे दृगपाल सिंह के खतियानी वो बकाश्त भूमि को उनके पुत्र प्रगास सिंह से बाबू नन्द बिहारी सिंह वो जगधारी सिंह ने निबंधित केवाला बैला कलामी वसिका संख्या 2310 दिनांक 27.09.1921 से खरीदगी भूमि है जिसे बाद में दोंनों खरीदारों बॉट लेते गये जिसमें प्रश्नगत् भूमि में जानिब पश्चिम 50 डी० जगधारी सिंह को वो 48 डी० जानिब पूरब बाबू नन्द बिहारी सिंह को प्राप्त वो हासिल हुई।

(4) आज से 75–80 वर्षो पूर्व जगधारी सिंह वो बाबू नन्द बिहारी सिंह ने कमशः प्लॉट नं० 126 एवं 127 में $15\frac{1}{2}$ डी० वो $15\frac{1}{2}$ डी० भूमि अपने पुरोहित ब्राह्मण अवध बिहारी पाण्डेय को कुल एराजी 31 डी० भूमि उक्त प्लॉट के पूरब में मौखिक दान में दे दिया था,जिसपर अवध बिहारी पाण्डेय वो उनके वारिसानों का दखल कब्जा वो हक अधिकार रहा है।

(5) नया सर्वे खतियान में उक्त दोंनों प्लॉटों को मिलाकर नया सर्वे प्लॉट नं० 165/126,127 एराजी जिसका, नया खाता $\frac{1/क}{32 \text{ पुराना}}$ कायम किया गया है जिसका दखलकार उक्त खानदानी पुरोहित ब्राह्मण के कायम दिखलाया गया है। स्थल निरीक्षण में भी उक्त 31 डी० का दो खण्डों में जानिब पूरब पाया गया है तथा अधिकांश स्वतंत्र ग्रामीणों साथियों ने पंडित जी को दान में प्राप्त होना वो उनका उसपर पूर्वजों से दावा दखल कब्जा एवं अधिकार को बतलाया है।

(6) उक्त भूमि को बबन सिंह(आवेदक) परशुराम सिंह और नरेन्द्र कुमार सिंह ने अवध बिहारी पाण्डेय के वारिसानों से कमशः निबंधित केवाला संख्या 2220 एवं 2221 दिनांक 21.06.95 को खरीद किया है और तभी से खरीदारों का संयुक्त रूप से दखल कब्जा में चली आ रही है।

(7) प्रश्नगत् सूट प्रोपर्टी को छोड़कर उभय पक्षों ने सभी खतियानी वो मौरूसी भूमि को आपस में ड्योढ़बंदी से बॉट लेते गये और अपने–अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा में चले आ रहे है।

(8) प्रसिद्व नारायण सिह अपने पीछे चार पुत्र नरेन्द्र कुमार सिंह,सुरेन्द्र कुमार सिंह,जितेन्द्र कुमार सिंह और अमरेन्द्र कुमार सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये जिनमें जितेन्द्र कुमार सिंह (विपक्षी संख्या 01) परिवार के कर्ता है। अतः अन्य को पार्टी बनाया जाना आवश्यक प्रतीत नही होता है। इसी तरह परशुराम सिंह अपने पीछे दो पुत्र अनिल सिंह और सुशील सिंह को उतराधिकारी के रूप में छोड़कर स्वर्गवास कर गये जिसमें अनिल विपक्षी संख्या 02 इस परिवार के कर्ता है,अतः अन्य को पार्टी बनाया जाना आवश्यक नही है।

(9) विपक्षी संख्या 3 एवं 4 अर्थात् मनु सिंह के वंशजों के कई पीढ़ी गुजर गये,परन्तु कभी भी ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि पर दावा नहीं किया गया और ना हीं आवेदक वगैरह के वसिका के विरूद्व कोई कैन्सिलेशन का मुकदमा लाया गया है और ना ही वसिका किसी सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द है।

(10) प्रस्तुत वाद खतियानी भूमि का विभाजन नहीं है जिसमें कि सभी को पक्षकार बनाना आवश्यक है। यहॉ जो अतिक्रमणकारी है जिनका सीमा विवादित भूमि से सटता है,उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है,जिन्हें यहॉ पक्षकार बनाया गया है। प्रसिद्व नारायण सिह अपने पीछे चार पुत्र नरेन्द्र कुमार सिंह,सुरेन्द्र कुमार सिंह,जितेन्द्र कुमार

सिंह और अमरेन्द्र कुमार सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये जिनमें जितेन्द्र कुमार सिंह (विपक्षी संख्या 01) परिवार के कर्ता है। अतः अन्य को पार्टी बनाया जाना आवश्यक प्रतीत नही होता है। इसी तरह परशुराम सिंह अपने पीछे दो पुत्र अनिल सिंह और सुशील सिंह को उतराधिकारी के रूप में छोड़कर स्वर्गवास कर गये जिसमें अनिल विपक्षी संख्या 02 इस परिवार के कर्ता है,अतः अन्य को पार्टी बनाया जाना आवश्यक नही है। अतः द्वितीय सेट द्वारा Mis Joinder Of Party को आधार मानकर वाद को खारिज करने की मॉग सर्वथा अनुचित,अविधिक एवं गैर कानूनी एवं अतार्किक है।

(11) विपक्षी द्वितीय सेट ने अपने आपति पत्र के पैरा 04 में खतियान पूर्व से बॅटने की बात को स्वीकार किया है। प्रश्नगत् प्लॉट संख्या 126 रकवा 93 डी० बकब्जे जगधारी सिंह जो कि आवेदक और विपक्षी प्रथम सेट के पूर्वज है और प्लॉट नं० 127 रकवा 98 डी० बकब्जे दृगपाल सिंह खतियान में दर्ज है जबकि द्वितीय सेट का संबंध मनु सिंह के शाखा से है। इस तरह विपक्षी का खतियान के आधार पर किया गया दवा असत्य एवं झूठा साबित होता है।

(12) प्लॉट संख्या 127 के कुल एराजी 98 डी० में जानिब पश्चिम 49 डी० जगधारी सिंह को और उसके जानिब पूरब 49 डी० नंद बिहारी को प्राप्त वो हासिल हुई थी जिसमें नंदबिहारी सिंह $15\frac{1}{2}$ डी० जानिब पूरब और जगधारी सिंह ने प्लॉट नं० 126 को जानिब पूरब की भूमि को दोंनों भू–स्वामियों ने अपने पुरोहित को ब्रह्मेतर दान 75–80 वर्ष पूर्व में दिया था जिसपर वे दखल कब्जा में चले आते है।

(13) जहॉ तक मौखिक दान का प्रश्न है तो इस संबंध में कहना है कि मौखिक दान के बाद अगर दान प्राप्त कर्ता दखल कब्जा में चले आ रहे तो उक्त मौखिक दान भी एक वैद्य हस्तांतरण है। इसी विचारक को माननीय न्यायाधीश के०के० मंडल ने श्री 108 गोपाल जी इष्ट देवता बनाम् राज्य सरकार में धारित किया है। (2012 (1) PLJR पेज 619 से 629) आर० एस० खतियान में अवध बिहारी पाण्डेय और रामप्यारे पाण्डे का नाम दर्ज होना प्रमाणित करता है कि दान प्राप्तकर्ता द्वारा दान में प्राप्त भूमि को स्वीकार किया था।

(14) स्थल निरीक्षण में भी उक्त दोनों प्लॉट नं० 126 एवं 127 के पूरब 31 डी० का एक खण्ड पाया गया जो कि विवादित है तथा दोंनों प्लॉटों में उभय पक्षों का अमरूद्व का बगान है जिस पर शेष कोई विवाद नहीं है। उपस्थित साक्षियों में एक जो पंडित जी का मनीदार था,ने बताया कि उक्त भूमि पर पंडित जी का कब्जा है तथा मनी बटाई पर जोतते है। एक अन्य मनीदार ने 1995 के बाद से बबन सिंह का मनीदार होने की बात स्वीकारा है तथा मनी बबन सिंह को देने की बात कही है। विगत वर्ष सिंचाई का मार पड़ जाने को लेकर कोई फसल नहीं लग सका है और जॉच में उक्त भूमि परती पायी गई थी। इसके अलावे अधिकांश साक्ष्यों ने उक्त भूमि को पंडित जी का बतलाया है तथा खरीदगी के बाद बबन सिंह का कब्जा बतलाया है।

(15) विपक्षी की ओर से प्रश्नगत् भूमि से संबंधित कोई नया खतियान पर्चा राजस्व रसीद वगैरह दाखिल नही किया गया है जबकि आवेदक की ओर से अन्य खाता के साथ प्रश्नगत् खाता की मालगुजारी रसीद दाखिल किया गया है जो प्रश्नगत् भूमि पर दावा अधिकार को साबित वो प्रमाणित करता है।

(16) आवेदक उक्त विवादित सूट प्रोपर्टी के खरीदारों में से एक है,जो एक तिहाई भाग अर्थात् 10.33 डी० भूमि के स्वामी एवं अधिकारी है अर्थात् अधिकार का प्रख्यापन कर उक्त संपति को बहिस्से बॉट देने का प्रस्ताव को विपक्षी तैयार नहीं है,फलतः पक्षकारों के बीच भूमि विभाजन को लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

विपक्षी 1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के दावा का समर्थन किया है।

विपक्षी संख्या 3 एवं 4 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) उभय पक्ष एक ही वंशवृक्ष के शाखा सूत्र है। आवेदक द्वारा दिया गया वंशावली सही नहीं है। सही वंशावली निम्न है:–

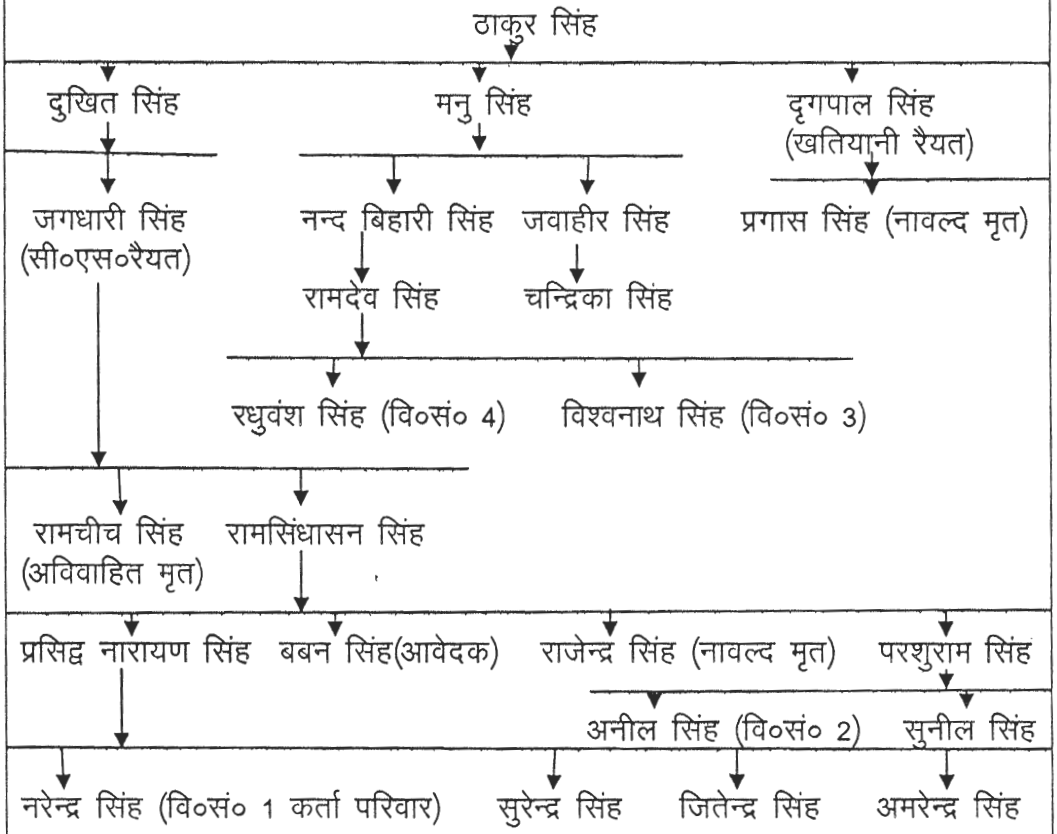

(2) विवादित भूमि आवेदक की भूमि है।

(3) यह सत्य है कि पुराना सर्वे खतियान उभय पक्ष के पूर्वजों के नाम प्रश्नगत् खाता वो प्लॉट के अलावे संयुक्त परिवार में धारित अन्य भूमि का संदेह दर्ज है जिसे वर्षो पूर्व आपस में उभय पक्ष के पूर्वजों के समय ही खानगी डयोढ़बंदी बॅटवारें के द्वारा अपने–अपने हक वो हिस्सा के अनुरूप बॉट ली गई है।

(4) यह सत्य नहीं है कि प्रश्नगत् भूमि को प्रार्थी के दादा नंदबिहारी सिंह ने अवध बिहारी पाण्डेय को मौखिक दान में दे दिया था। आवेदक के सोची समझी साजिश के तहत एक फर्जी एव बनावटी खरीद का दस्तावेज तैयार कर भूमि पर अनैतिक तरीके से दखल काबिज होना चाह रहे है जबकि उक्त दस्तावेज का उपयोग आज तक स्थल पर कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं हुआ है, ना हीं उक्त तथाकथित प्रश्नगत भूमि पर आवेदक या विपक्षी संख्या 1 एवं 2 का कब्जा ही रहा है।

(5) आवेदक के पिता जगधारी सिंह नहीं है बल्कि राम सिहासन सिंह है,जगधारी सिंह आवेदक के दादा है।

(6) आवेदक की ओर से दाखिल कराये गये मूल आवेदन पत्र के पारा 3 में वर्णित है

कि बाबू नंदबिहारी सिंह को प्रश्नगत् प्लॉट में पूरब तरफ 48 डी० भूमि हिस्सा में प्राप्त हुई थी,जो पुनः पूरब ही कैसे आवेदक के पूर्वज द्वारा किसी को भी भूमि दान में दी जा सकती है ? जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि को अनैतिक तरीके से कब्जे में करने का प्रयास किया जा रहा है।

(7) विवादित भूमि के चौहद्दी के पूरब तरफ विपक्षी *संख्या 03 विश्वनाथ सिंह एवं विजेन्द्र* सिंह का नाम अंकित है,परन्तु विजेन्द्र सिंह को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा उपरोक्त भूमि के अंश रकवा पर उनका भी हिस्सा के अनुरूप दखल कब्जा में स्थल पर आज भी वर्तमान है।

(8) विवादित भूमि का रसीद विपक्षी के द्वारा दिया जा रहा है।

(9) हिन्दू कानून के अनुसार कोई भी भूमि का दान मौखिक रूप से कानून के मुताविक नही दिया जा सकता है।

(10) स्थल निरीक्षण के दौरान भी उपस्थित जनों ने भी स्वीकार किया है कि प्रश्नगत् भूमि की खेती विपक्षी संख्या 3 एवं 4 द्वारा की व करायी जाती है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं एवं उभय पक्षों के समक्ष विवादित भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया। विवादित भूमि परती थी। स्थल जॉच में कुछ लोंगों नें विवादित भूमि पर कब्जा आवेदक का बताया तो कुछ लोगों ने विपक्षी का। शंकर यादव पिता स्व० विशुन यादव ने बताया कि उन्होंनें विवादित भूमि को पॉच वर्षो तक जोते है और मनी बबन सिंह को दिये है। अभय कुमार यादव पिता दीनानाथ यादव ने बताया कि यह जमीन वे लोग जोतते थे और मनी पंडित जी को देते थे। जबकि विजेन्द्र सिंह पिता चन्द्रिका सिंह वो पंकज कुमार पिता सिनंदन सिंह ने विवादित भूमि विश्वनाथ सिंह का बताया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना,स्थल जॉच एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित भूमि पर दावा दिनांक 21.06.95 के केवाला के आधार किया है जो आवेदक बबन सिंह,परशुराम सिंह वो नरेन्द्र कुमार सिंह के नाम चन्द्रभूषण पाण्डेय पिता स्व० अवध बिहारी पाण्डेय से खरीदगी है। उभय पक्ष एक ही वंशवृक्ष के शाखा है। आवेदक का कहना है कि विवादित भूमि को उभय पक्ष के पूर्वज जगधारी सिंह वो नंदबिहारी सिंह ने 70–80 वर्ष पूर्व भू–बिकेता चन्द्रभूषण पाण्डेय के पिता अवध बिहारी पाण्डेय को मौखिक दान में दे दिया था और अवध बिहारी पाण्डेय उक्त भूमि के कब्जा में आ गये। इसका खंडन विपक्षीगण के विद्वान

अधिवक्ता के द्वारा किया गया। आवेदक के द्वारा मौखिक दान के समर्थन में कोई दस्तावेज यथा अवध बिहारी पाण्डेय के नाम का राजस्व रसीद आदि दाखिल नहीं किया गया। सिर्फ एक नया सर्वे खतियान का सच्ची प्रतिलिपि दाखिल किया गया है जो फाइनल नहीं है। उक्त सर्वे खतियान में भी अवध बिहारी पाण्डेय वगैरह को अवैध दखलकार बताया गया है अर्थात् नया सर्वे खतियान जो भी फाइनल नहीं है में भी अवध बिहारी पाण्डेय को स्वत्व की प्राप्ति नहीं है। बगैर स्वत्व की प्राप्ति के किसी भी भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है,अर्थात् दिनांक 21.06.95 के केवाला के आधार पर आवेदक को किसी भी प्रकार का अनुतोष स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। आवेदक के द्वारा विवादित भूमि के निश्वत 1995 से अद्यतन राजस्व रसीद की प्रति दाखिल की गई है। उक्त राजस्व रसीद प्रसिद्व नारायण सिंह के नाम से है जबकि विवादित भूमि के केता प्रसिद्व नारायण सिंह के भाई बबन सिंह (आवेदक) वो परशुराम सिंह एवं पुत्र नरेन्द्र कुमार सिंह है,अतः उक्त राजस्व रसीद की भी मान्यता नहीं दी जा सकती है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

18.09

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

18.09

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।